प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

12 अगस्त 2025,

सीएजी का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संघ सरकार (राजस्व विभाग – अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क विभाग) संसद में प्रस्तुत!

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार (राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशालय विदेश व्यापार के कार्यों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2025 की संख्या 11 को आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में 119 पैराग्राफ हैं जिनमें एक विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है, इनका कुल राजस्व निहितार्थ **₹831** करोड़ है। ₹*76* करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले 118 पैराग्राफों में, विभाग/मंत्रालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, कारण बताओ नोटिसों पर अधिनिर्णयन किया गया और अब तक 83 मामलों में ₹69 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं:

I. वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, लेखापरीक्षा ने संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारणों को 251 निरीक्षण रिपोर्ट जारी कीं, जिनमें 2,065 लेखापरीक्षा आपत्तियां थीं और जिनका कुल राजस्व निहितार्थ ₹9,824 करोड़ था। इनमें से, वित्तीय वर्ष 22 के दौरान ₹831 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 119 लेखापरीक्षा आपत्तियां को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। शेष मामलों पर संबंधित क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय कार्रवाई कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने, जारी किए गए 119 मामलों में से 80 में जवाब दे दिए हैं। इसके अतिरिक्त, 38 मामलों में, स्थानीय सीमा शुल्क आयुक्तालयों/क्षेत्रीय प्राधिकरणों से जवाब प्राप्त हुए हैं।

{पैराग्राफ 2.6}

II. 'कूरियर, सामान एवं ई-कॉमर्स माल सहित डाक वस्तुओं' के लिए विशेष सीमा शुल्क प्रक्रियाओं' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (अध्याय-III)

निम्नलिखित विषयों के संबंध में तीव्रतर स्वीकृति के लिए विशेष सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच करने के लिए एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की गई थी:

- अंतर्राष्ट्रीय कूरियर माल
- अनएक्म्पनीड सामान सहित सामान
- ई-कॉमर्स माल सहित डाक वस्तुएं

लेखापरीक्षा की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:

- तीव्र तथा उचित निर्धारण के लिए आवश्यक उपकरण जैसे एक्स-रे स्कैनर, कैरेट मीटर आदि या तो सीमित कार्यक्षमताओं के साथ मौजूद थे या उस संख्या में थे जो संचालन भार की मात्रा के अनुपातिक नहीं थे या उपयोग में नहीं लाए गए थे। कुछ मामलों में ये उपकरण मौजूद नहीं थे।
- मुंबई और अहमदाबाद में एक्स-रे मशीनें पुरानी थीं (वर्ष 2009-2011) और स्कैनिंग और इमेज मूवमेंट में धीमी थीं और इमेज या छिपे हुए माल के विशिष्ट आकार और प्रकृति के आधार पर अलर्ट भेजने में सक्षम नहीं थीं, इसके अलावा भारी उपयोग के कारण उन्हें बंद करना पड़ता था।
- कैरेट मीटर केवल दो इकाइयों (अहमदाबाद और कोलकाता हवाई अड्डे) में उपलब्ध थे। ड्रग डिटेक्शन किट केवल तीन इकाइयों (मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर) में उपलब्ध थीं। डॉग स्क्वॉड केवल चार इकाइयों (मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और कोच्चि) में उपलब्ध थे। ये अपर्याप्तता कूरियर टर्मिनलों को अवैध माल की तस्करी के लिए असुरक्षित बना रही है।
- श्रमबल की कमी, स्थान की कमी, जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु संस्थागत तंत्र का अभाव बंदरगाहों को अवैध यातायात और विलंबित स्वीकृति के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- विभाग अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर अपूर्ण सामान घोषणा फॉर्म (बीडीएफ) स्वीकार कर रहा था, जिसमें अनिवार्य जानकारी जैसे कि यात्रा किया गया देश, जिस देश से आ रहे हैं, विदेश में ठहरने की अवधि, सामान की संख्या आदि का न तो सामान रसीद के साथ संलग्न बीडीएफ में उल्लेख किया गया था और न ही सामान के प्रकार दर्ज किए गए थे।
- डिजिटल एप्लिकेशन "ATITHI @ IndianCustoms" का उपयोग कम था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शुल्क भुगतान विकल्प न होने की इसकी सीमा के कारण।
- चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीसीएसआईए)-लखनऊ, श्री गुरु राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एसजीआरडीजेआईए)-अमृतसर में वर्ष 2019 से 22 के दौरान इन्वेंट्री तैयार न करने और गोदामों में जब्त माल जमा करने में देरी जैसे अनुचित देरी के उदाहरण थे। देरी की रेंज 5 से 528 दिनों तक है। जब्त किए गए सामान में अन्य बातों के अलावा सोना और उससे बनी वस्तुएं-110.85 किलोग्राम और आईफोन, हथियार, गोला-बारूद, लैपटॉप और अन्य सामान शामिल हैं। एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी थी और गैर-निकासी/अदावा/जब्त/सामान के उचित प्रबंधन के लिए निगरानी अपर्याप्त थी।

- ईडीआई मॉड्यूल और एफपीओ में सभी शुल्क योग्य और गैर-शुल्क योग्य वस्तुओं के डेटा रखरखाव के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के मानकीकरण, किए गए आकलन के ट्रेल, के अभाव में , लेखापरीक्षा यह आश्वासन देने में असमर्थ है कि एफपीओ सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षा की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(i) मंत्रालय मौजूदा एक्स-रे मशीनों/स्कैनरों की आवश्यकताओं और रखरखाव की समीक्षा कर सकता है और सभी कूरियर टर्मिनलों/विमानपत्तनों/यूबी टर्मिनलों/विदेशी डाक कार्यालयों में इन अवसंरचनाओं को बनाते समय परिकल्पित प्रभावी, त्वरित और सटीक आकलन के लिए तकनीकी रूप से उन्नत मशीनें स्थापित कर सकता है।

(ii) प्रभावी सीमा शुल्क सेवाओं/आकलन और व्यापार और यात्रियों की सुविधा के लिए सभी कूरियर टर्मिनलों/ विमानपत्तनों /यूबी टर्मिनलों/विदेशी डाक कार्यालयों में समान रूप से पालन किए जाने के लिए नीति स्तर पर उपकरण, स्थान मानदंड, जनशक्ति, प्रशिक्षण मानदंडों की आवश्यकताओं को मानकीकृत करने की आवश्यकता थी। त्वरित निर्धारण की दिशा में अतिरिक्त स्थान की उपलब्धता के लिए लंबित निकासी की निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(iii)डेटा सटीकता और उच्च प्रबंधन को सही रिपोर्टिंग के लिए ईबीआर मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग और मॉड्यूल में सभी मैनुअल बीआर को अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। डिजिटल ऐप "ATITHI @Indian Customs" की कार्यक्षमताओं की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल और व्यापक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। अग्रिम घोषणाओं के लिए और डिजिटल भुगतान कार्यक्षमता हेतु बैंकिंग प्रणाली के साथ डिजिटल ऐप "ATITHI @Indian Customs" को सीमा शुल्क निकासी मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

(iv) दावा न किए गए/अनिकासित माल पर तेजी से कार्रवाई के लिए विशिष्ट समय सीमा की आवश्यकता है, जहां विभाग स्वयं संरक्षक है। एफपीओ और आईसीटी में व्यक्तिगत उपहारों की लंबितता में वृद्धि (संभवतः आयात शुल्क में वृद्धि के कारण) की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि गतिरोध को कम किया जा सके।

(v) उपयोगकर्ता विभागों के बीच मौजूदा समन्वय तंत्र की समीक्षा और विवेकपूर्ण निर्णयों के लिए वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी की जाने वाली एक मजबूत इंटरैक्टिव प्रणाली स्थापित की जा सकती है।

(vi) निर्धारण और रिपोर्टों में विसंगतियों का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों (आईसीटी), अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आईए) टर्मिनलों और विदेशी डाकघरों

(एफपीओ) में निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक आईटी आधारित प्रणाली की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों का नियमित अंतराल पर आंतरिक ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा लंबित पड़े अनिकासित माल की समस्या से निपटने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।

{पैराग्राफ 3.1* से *3.12.8}

III. विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न करना (अध्याय-IV)

20 क्षेत्रीय प्राधिकरणों और आठ विकास आयुक्तों की नमूना लेखापरीक्षा में कुल **₹773 करोड़** के राजस्व निहितार्थ वाले निर्यात दायित्वों को पूरा करने और निर्यात प्रोत्साहन देने के संबंध में विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं के उल्लंघन के उदाहरणों को देखा।

निर्यातकों/आयातकों से प्राप्त होने वाले कुल **₹773 करोड़** के राजस्व में से, एक मामले में (***पैराग्राफ 4.3)***, आईसीईएस 1.5 में उचित सत्यापन नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप गैर-हकदार निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और अग्रिम प्राधिकार (एए) धारकों को अनियमित आईजीएसटी रिफंड हुआ, जिसमें **₹736 करोड़** रुपये का राजस्व निहित था।

{पैराग्राफ 4.3* से *4.3.10}

IV. सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न करना (अध्याय-V)

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए अनुपालत न किए गए मामलों को मुख्य तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- आयात का गलत वर्गीकरण **(पैराग्राफ 5.6.1 से 5.6. 5)**
- अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग **(पैराग्राफ 5.7.1 से 5.7.7)**
- अन्य अनियमितताएं **(पैराग्राफ 5.8 से 5.8.1)**

लेखापरीक्षा ने आयातित माल के गलत वर्गीकरण, अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग और लागू उद्ग्रहण एवं अन्य शुल्कों के गलत उद्ग्रहण के कारण लागू सीमा शुल्क के कम निर्धारण के 88 मामलों को देखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹46 करोड़ का राजस्व जोखिम में था।

{पैराग्राफ 5.6 से 5.8}